

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 15

दिनांक : 23.05.2024

कार्यालय आदेश


मैं राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) व 410(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह जून 2024 में अग्रवर्णित शासकीय अवकाशों में उदयपुर जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दाण्डिक कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड अवधि बढ़ाने तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे – मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest) व अन्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. के लिए अधिकृत करता हूँ :-

June 2024 Remand Duty			
क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन	मोबाईल नंबर
1	02.06.2024	श्री रविन्द्र सोलंकी, A.C.J. & J.M. No.1 (North), Udaipur	8769148002
2	08.06.2024	सुश्री साक्षी शर्मा, C.J. & J.M. (South), Udaipur	8280130020
3	09.06.2024	सुश्री साक्षी शर्मा, C.J. & J.M. (South), Udaipur	8280130020
4	16.06.2024	सुश्री ज्योति भट्ट, A.C.J. & J.M. No.2 (North), Udaipur	7852090115
5	17.06.2024	सुश्री ज्योति भट्ट, A.C.J. & J.M. No.2 (North), Udaipur	7852090115
6	18.06.2024	सुश्री ज्योति भट्ट, A.C.J. & J.M. No.2 (North), Udaipur	7852090115
7	22.06.2024	श्रीमति शिखा चारण, Nyayadhikari Gram Nyayalaya, Girva Udaipur	9351271394
8	23.06.2024	श्रीमति शिखा चारण, Nyayadhikari Gram Nyayalaya, Girva Udaipur	9351271394
9	30.06.2024	सुश्री शिखा शर्मा, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.6, Udaipur	9001953725

नोट : (1) उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, उदयपुर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे तथा स्वयं की स्वीकृतशुदा अनुपस्थिति में उपर्युक्त कार्य जिला मुख्यालय उदयपुर के दंडाधिकारी न्यायालयों हेतु अधिकृत उक्त वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जाएंगे।

(2) उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमाण्ड ड्युटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(3) यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्युटी करने में असमर्थ रहता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमाण्ड ड्युटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर तथा सहमति का अपने पत्र में अंकन करके ही पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

 23.5.2024


(राहुल चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

दिनांक : 23.05.2024

क्रमांक – स्थापना/2024/744-749

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है –

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमाण्ड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय, उदयपुर।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्युटी की व्यवस्था हेतु।
5. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. वार एसोसिएशन, उदयपुर

 23.5.2024

(राहुल चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)